XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

25

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
राजस्व अपील वाद संख्या–98/2005
धारा–48 (F) बी0टी0 एक्ट अन्तर्गत

राजेन्द्र मंडल, पिता–किशुन मंडल, साकिन–बभन चक्का, थाना–भवानीपुर, जिला– पूर्णियाँ ... . आवेदक

बनाम

अनीता देवी, पिता–शैलेन्द्र कुमार सिंह
साकिन–ब्रहमज्ञानी, थाना–भवानीपुर, जिला–पूर्णियाँ .... विपक्षी

आ दे श

आवेदक भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा बटाईदारी वाद संख्या–10/1999 में पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक मौजा–बेला प्रसादी, थाना नं0–267, खाता नं0–283, खेसरा नं0–456, रकवा–01 बीघा जमीन पर बटाई हक के लिये भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में वाद संख्या–10/1999 दायर किया। निम्न न्यायालय द्वारा गठित समझौता बोर्ड से निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रतिवेदन नहीं आने पर अभिलेख वापस मांगा गया एवं भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता अपने स्तर से सुनवाई कर वाद को खारिज कर दिये। निम्न न्यायालय द्वारा पारित सम्पूर्ण आदेश नियम के विपरित है। प्रश्नगत जमीन विपक्षी की माता प्रेमा देवी के नाम आर0एस0 सर्वे में दर्ज था, जबकि निम्न न्यायालय द्वारा लिखा गया कि वर्ष 1960 ई0 में वास्तविक भूस्वामी नरसिंह मोहन घोष थ। वर्ष 2004 ई0 में निम्न न्यायालय में अधिवक्ता के हड़ताल के कारण आवेदक अपना साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। प्रश्नगत जमीन के विवाद के कारण कई बार विपक्षी की ओर से भवानीपुर थाना में झूठा मुकदमा दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी कभी स्थल जाँच नहीं किया गया। इस प्रकार सभी प्रक्रियाओं को नजर अन्दाज कर निम्न न्यायालय द्वारा वाद को खारिज कर दिया गया, जो नियम के विपरित है। अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि वाद की सुनवाई कर आवेदक को प्रश्नगत जमीन पर बटाईदार घोषित करने की कृपा की जाय।

विपक्षी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 18.05.2012 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि स्पष्ट रूप से नोटिश के तामिला होने के बाबजूद भी विपक्षी अनुपस्थित है। पूर्व में भी उनके अनुपस्थित को देखते हुए अंतिम मौका उन्हें दिया गया था।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

आवेदक का यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा बटाईदारी मामले समझौता बोर्ड को भेजा गया था, परन्तु समय पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण इसे वापस ले लिया गया। परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा समझौता हेतु कोई कारगर प्रयास नहीं किया गया एवं स्थल निरीक्षण भी हुंआ नहीं। आवेदक अभी भी बटाईदार है एवं जमीन पर वास्तव में खेती कर रहे है। इसके बाबजूद भी इन सभी बातों को नजर अन्दाज करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया, जो गलत है। उनके द्वारा इस वाद को पुनः निम्न न्यायालय को भेजते हुए समझौता बोर्ड/सुनवाई कर विधिवत आदेश पारित करने की मांग की गयी।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा उभय पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट है कि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/5/..

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

30/5/..

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ